प्रकाशन का 43 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई – पेपर

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

www.facebook.com/ shailshamachar

वर्ष 43 अंक – 20 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पंजीकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-2020 सोमवार 14 – 21 मई 2018 मूल्य पांच रूपए

वीरभद्र, फारखा और श्रीधर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाये-पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक सानन ने

शिमला/शैल। प्रदेश में भू-सुधार अधिनियम की धारा 118 का किस तरह से दुरूपयोग हो रहा है और इसको स्वयं सरकार कैस बढ़ावा दे रही है इसका खुलासा सरकार में ही अतिरिक्त मुख्य सचिव रहे दीपक सानन द्वारा भेजी शिकायत से हो जाता है। दीपक सानन ने अपनी शिकायत में 2013 से 2017 के बीच घटे तीन मामलों का खुलासा करते हुए मन्त्रीमण्डल के सदस्यों जो बैठक में उपस्थित थे, प्रधान सचिव राजस्व, मुख्यमन्त्री के प्रधान सचिव, मुख्य सचिव वीसी फारखा तथा तत्कालीन मुख्यमन्त्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत आपराधिक मामला दर्ज करके तुरन्त कारवाई करने की मांग की है। दीपक सानन ने अपनी शिकयत में स्पष्ट कहा है कि यदि सरकार कारवाई नही करेगी तो वह स्वयं इस मामले में जनहित याचिका दायर करेंगे।

शिकायत के मुताबिक सरकार ने बड़ोग के होटल कोरिन, शिमला के तेनजिन अस्पताल और चम्बा के लैण्डलीज़ मामलों में सारे नियमों/कानूनों को अंगूठा दिखाते हुए भारी भ्रष्टाचार किया है। होटल कोरिन को लेकर खुलासा किया है कि पीपी कोरिन और रेण कोरिन ने 1979/ 1981 में बड़ोग में होटल निर्माण के लिये ज़मीन खरीदने की अनुमति धारा 118 के तहत मांगी थी। यह अनुमति की प्रार्थना 1990 तक अनुतरित रही और इसी बीच कोरिन ने वहां होटल का निर्माण कर लिया। जब धारा 118 के तहत अनुमति मिले बिना ही होटल निर्माण का मामला सामने आया तो डीसी सोलन ने इसका संज्ञान लेकर कारवाई शुरू कर दी। इस पर कोरिन ने 1993 में सब जज सोलन की अदालत में याचिका दायर कर दी। लेकिन इसमें सरकार को पार्टी नही बनाया। अदालत ने कोरिन के हक में फैसला दे दिया। जब सरकार को इसकी जानकारी मिली तो सरकार ने सिनियर सब जज के पास अपील दायर कर दी। इस पर सरकार के हक में फैसला हो गया। इसके बाद कोरिन ने जिला जज से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक दरवाजे खटखटाये लेकिन कहीं सफलता नही मिली।

इसी बीच 2004 में कोरिन ने फिर सरकार से इस खरीद की अनुमति दिये जाने का अनुरोध किया जबकि उस समय प्रदेश उच्च न्यायालय में यह मामला लंबित था और मई 2005 में इनके खिलाफ फैसला आ गया। इस तरह 2004 के अनुरोध पर भी सरकार ने कोई अनुमति नही दी और कोरिन पुन: उच्च न्यायालय चले गये और अदालत ने मई 2007 में सरकार को निर्देश दिये कि वह अपने फैसले से कोरिन को अवगत कराये। सरकार ने इस फैसले की अनुपालना करने की बजाये (क्योंकि डीसी सोलन इस ज़मीन को सरकार में वेस्ट कर चुके थे) एक और अनुरोध पर कारवाई करते हुए मन्त्रीमण्डल ने 10.8.2007 को कोरिन को पिछली तारीख से ही दो लाख के जुर्माने के साथ अनुमति दे दी। जब सरकार के इस फैसले पर डीसी सोलन को अनुपालना के लिये कहा गया तो उन्होने सरकार को जबाव दिया कि यह कानून सम्मत नही हैं 2008 में विधि विभाग ने भी यहां तक कह दिया कि मन्त्रीमण्डल का 2007 का फैसला असंवैधानिक है इस पर मन्त्रीमण्डल ने 2.12.2011 को इस पर पुन:विचार किया और 2007 के फैसले को रद्द कर दिया।

इसके बाद 2013 में पुन: एक नया प्रतिवेदन कोरिन से लिया गया और राजस्व विभाग ने नये सिरे से केस तैयार किया तथा मन्त्रीमण्डल ने 4.9.2013 को इस पर अपनी मोहर लगा दी। इस फैसले की भी जब डीसी सोलन को जानकारी दी गयी तो वह पुन: सरकार के संज्ञान में लाये कि इस ज़मीन को धारा 118 के प्रावधानों के तहत बहुत पहले ही सरकार में लेकर इसका राजस्व ईन्दराज हो चुका है। डीसी की जानकारी के बाद प्रधान सचिव राजस्व ने अपने ही स्तर पर राजस्व ईन्दराज को रिव्यू करने के आदेश कर दिये जबकि वह इसके लिये अधिकृत ही नही था। इस तरह इस पूरे मामले से यह स्पष्ट हो जाता है कि सारे नियमो/कानूनों को नज़रअन्दाज करके कोरिन को लाभ पहुंचाया गया है। जबकि वह सर्वोच्च न्यायालय तक से राहत पाने में असफल रहा है।

इसी तरह शिमला के कुसुम्पटी स्थित तेनजिन अस्पताल का मामला है इसमें तेनजिन कंपनी ने 7.6.2002 को 471.55 वर्ग मीटर ज़मीन में कंपनी का दफ्तर और एक आवासीय कॉलोनी बनाने के लिये खरीद की अनुमति मांगी। लेकिन कंपनी ने दफ्तर और कालोनी बनाने की बजाये अनुमति के बिना ही अस्पताल का निर्माण कर लिया। इसका संज्ञान लेते हुए डीसी शिमला ने धारा 118 के प्रावधानों के तहत कारवाई करते हुए इस ज़मीन को 16.1.2012 को सरकार में वैस्ट कर दिया। इस पर कंपनी ने भूउपयोग बदलने की अनुमति दिये जाने का अनुरोध कर दिया। इस अनुरोध पर निदेशक हैल्थ सेफ्टी एवम् नियमन ने अनिवार्यता प्रमाण पत्र जारी कर दिया लेकिन राजस्व विभाग ने इस पर प्रधान सचिव राजस्व ने अपने ही विभाग की टिप्पणी को नज़रअन्दाज करके मामला मन्त्रीमण्डल की बैठक में विचार के लिये लगा दिया। मन्त्रीमण्डल ने प्रधान सचिव के प्रस्ताव पर अपनी मोहर लगाकर पिछली तारीख से अनुमति प्रदान कर दी। यह भूउपयोग बदलने की अनुमति दिया जाना एकदम धारा 118 को एक तरह से अप्रभावी बनाने का प्रयास है।

ऐसे ही चम्बा के डलहौजी में मन्त्रीमण्डल ने स्टांप ड्यूटी में 3% की छूट देकर कुछ लोगों की लीज़ को नियमित करने का फैसला 17.7.2017 को कर दिया है। इसके वित्तिय और कानूनी पक्षों पर वित्त विभाग और विधि विभाग की राय लिये बिना ही यह फैसला ले लिया गया है। इसमें रूल्ज़ ऑफ विज़नैस के प्रावधानों की अनदेख करके कुछ लोगों को लाभ पहुंचाया गया है। इस तरह पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव में इन मामलों की शिकायत करके पूरे प्रशासन और सरकार को एक ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ कारवाई की उसकी नीयत और नीति दोनों की परीक्षा होगी।

यह है दीपक सानन का पत्र

-1-

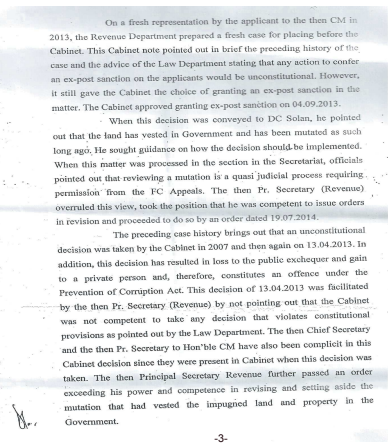

On a fresh representation by the applicant to the then CM in 2013, the Revenue Department prepared a fresh case for placing before the Cabinet. This Cabinet note pointed out in brief the preceding history of the case and the advice of the Law Department stating that any action to confer an ex-post sanction on the applicants would be unconstitutional. However, it still gave the Cabinet the choice of granting an ex-post sanction in the matter. The Cabinet approved granting ex-post sanction on 04.09.2013.

When this decision was conveyed to DC Solan, he pointed out that the land has vested in Government and has been mutated as such long ago. He sought guidance on how the decision should be implemented. When this matter was processed in the section in the Secretariat, officials pointed out that reviewing a mutation is a quasi judicial process requiring permission from the FC Appeals. The then Pr. Secretary (Revenue) overruled this view, took the position that he was competent to issue orders in revision and proceeded to do so by an order dated 19.07.2014.

The preceding case history brings out that an unconstitutional decision was taken by the Cabinet in 2007 and then again on 13.04.2013. In addition, this decision has resulted in loss to the public exchequer and gain to a private person and, therefore, constitutes an offence under the Prevention of Corruption Act. This decision of 13.04.2013 was facilitated by the then Pr. Secretary (Revenue) by not pointing out that the Cabinet was not competent to take any decision that violates constitutional provisions as pointed out by the Law Department. The then Chief Secretary and the then Pr. Secretary to Hon'ble CM have also been complicit in this Cabinet decision since they were present in Cabinet when this decision was taken. The then Principal Secretary Revenue further passed an order exceeding his power and competence in revising and setting aside the mutation that had vested the impugned land and property in the Government.

-3-

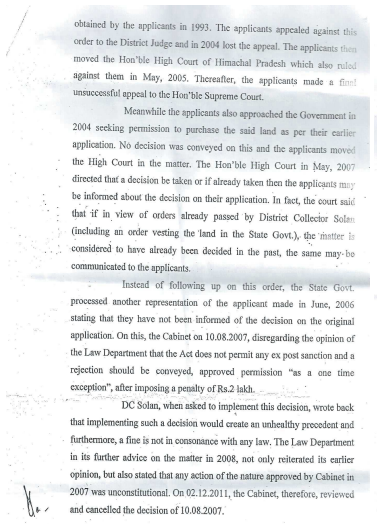

obtained by the applicants in 1993. The applicants appealed against this order to the District Judge and in 2004 lost the appeal. The applicants then moved the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh which also ruled against them in May, 2005. Thereafter, the applicants made a final unsuccessful appeal to the Hon'ble Supreme Court.

Meanwhile the applicants also approached the Government in 2004 seeking permission to purchase the said land as per their earlier application. No decision was conveyed on this and the applicants moved the High Court in the matter. The Hon'ble High Court in May, 2007 directed that a decision be taken or if already taken then the applicants may be informed about the decision on their application. In fact, the court said that if in view of orders already passed by District Collector Solan (including an order vesting the land in the State Govt.), the matter is considered to have already been decided in the past, the same may be communicated to the applicants.

Instead of following up on this order, the State Govt. processed another representation of the applicant made in June, 2006 stating that they have not been informed of the decision on the original application. On this, the Cabinet on 10.08.2007, disregarding the opinion of the Law Department that the Act does not permit any ex post sanction and a rejection should be conveyed, approved permission "as a one time exception", after imposing a penalty of Rs.2 lakh.

DC Solan, when asked to implement this decision, wrote back that implementing such a decision would create an unhealthy precedent and furthermore, a fine is not in consonance with any law. The Law Department in its further advice on the matter in 2008, not only reiterated its earlier opinion, but also stated that any action of the nature approved by Cabinet in 2007 was unconstitutional. On 02.12.2011, the Cabinet, therefore, reviewed and cancelled the decision of 10.08.2007.

-2-

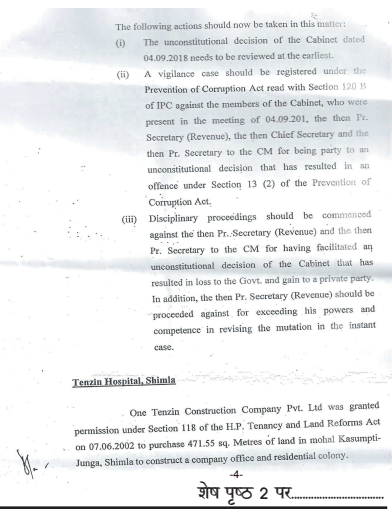

The following actions should now be taken in this matter:

(i) The unconstitutional decision of the Cabinet dated 04.09.2018 needs to be reviewed at the earliest.

(ii) A vigilance case should be registered under the Prevention of Corruption Act read with Section 120 B of IPC against the members of the Cabinet, who were present in the meeting of 04.09.201, the then Pr. Secretary (Revenue), the then Chief Secretary and the then Pr. Secretary to the CM for being party to an unconstitutional decision that has resulted in an offence under Section 13 (2) of the Prevention of Corruption Act.

(iii) Disciplinary proceedings should be commenced against the then Pr..Secretary (Revenue) and the then Pr. Secretary to the CM for having facilitated an unconstitutional decision of the Cabinet that has resulted in loss to the Govt. and gain to a private party. In addition, the then Pr. Secretary (Revenue) should be proceeded against for exceeding his powers and competence in revising the mutation in the instant case.

Tenzin Hospital, Shimla

One Tenzin Construction Company Pvt. Ltd was granted permission under Section 118 of the H.P. Tenancy and Land Reforms Act on 07.06.2002 to purchase 471.55 sq. Metres of land in mohal Kasumpti-Junga, Shimla to construct a company office and residential colony.

-4-

शेष पृष्ठ 2 पर.....

राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री ने किया राष्ट्रपति का स्वागत

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत तथा मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने शिमला के कल्याणी हेलीपैड पर राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद का स्वागत किया। राष्ट्रपति छः दिवसीय दौरे पर प्रदेश आए हैं।

राष्ट्रपति अपनी धर्मपत्नी एवं प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद के साथ कल्याणी हेलीपैड शिमला पर पहुंचे। राष्ट्रपति को भारतीय सेना के दल द्वारा सलामी दी गई।

इस अवसर पर सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री तथा राष्ट्रपति के दौरे के लिए मिनिस्टर-इन-वेटिंग नियुक्त किए गए महेन्द्र सिंह ठाकुर भी उपस्थित थे। नगर निगम शिमला की महापौर कुसुम सदरेट, चीफ ऑफ स्टाफ लै. जनरल राजीव सिरोही, अति विशिष्ट सेवा पदक, विशिष्ट सेवा पदक, मुख्य सचिव विनीत चौधरी, पुलिस महानिदेशक एस.आर मरडी, अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. श्रीकान्त बाल्दी, सचिव सामान्य प्रशासन डॉ. आर. एन. बत्ता, शिमला के उपायुक्त अमित कश्यप, पुलिस अधीक्षक उमापति जम्वाल भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

'जल से कृषि को बल' योजना पर होंगे 250करोड़ खर्च:महेन्द्र सिंह

शिमला/शैल। सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के नेतृत्व में राज्य का कार्यभार संभालते ही प्रदेश सरकार ने किसानों व बागवानों के हितों के दृष्टिगत अंतिम खेत तक पानी पहुंचाने की सोच को मूर्तरूप देने के लिये अनेक सिंचाई योजनाएं बनाई। इन सिंचाई योजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोट तैयार कर इन्हें मंजूरी के लिये केन्द्र सरकार को भेजा गया है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत अगले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान राज्य में 17881 हेक्टेयर क्षेत्र में 338 करोड़ लागत की 111 लघु सिंचाई योजनासओं के लिये एक नई इकाई मंजूर की गई है। इसके अलावा बहाव सिंचाई योजना आरंभ की गई है जिसपर अगले पांच वर्षों में 150 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि राज्य के सभी भागों के लिये अनेक छोटी-छोटी योजनाएं तैयार कर स्वीकृति हेतु केन्द्र सरकार को भेजी गई हैं।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर राज्य के लिये विकास की योजनाओं को स्वीकृत करवाने के लिये लगातार प्रधानमंत्री तथा केन्द्रीय मंत्री के संपर्क में हैं और समय-समय पर इन योजनाओं के संबंध में वह केन्द्रीय नेताओं से मिलते हैं तथा अपने कार्यकाल की छोटी से अवधि में अनेक योजनाएं राज्य के लिये स्वीकृत करवाई गई हैं। उन्होंने कहा कि वह भी राज्य सरकार का ही अंग हैं और मुख्यमंत्री के निर्देशों की अनुपालना में केन्द्रीय मंत्रालयों में जाकर राज्य की योजनाओं को स्वीकृत करवाने के प्रयास करते हैं। हालांकि इन सभी योजनाओं को लेकर स्वयं मुख्यमंत्री ने पहले ही केन्द्रीय मंत्रियों से बात-चीत की है।

सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने एक नई योजना 'जल से कृषि को बल' आरंभ की है जिसमें अगले पांच वर्षों के दौरान 250 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस योजना के तहत प्रदेशभर में चेक डैम एवं तालाबों का निर्माण किया जाएगा।

HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
"E-Procurement Notice"
Invitation for Bids

The Executive Engineer, Electrical Division, HPPWD Palampur on behalf of Governor of Himachal Pradesh invites the item rate bids in Electronic Tendering System in Single cover of the under mentioned works from approved and eligible contractors/firms registered with HPPWD (Electrical) Department or Principal Manufacturer/OEMs.

Sr.No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time Limit	Form No.	Cost form
1.	C/O 1 No. type-IV Qtr. & 6 Nos. type-III Qtrs. for PWD staff in Dr. RPGMC Kangra at Tanda (SH:- Providing E.I. therein).	6,96,733/-	14,000/-	Six Months	8	350/-
2.	C/O Science Block in Govt. Degree College at Naura in Tehsil Palampur, Distt. Kangra (HP) (SH:- Providing E.I. therein).	8,80,130/-	17,700/-	One year	8	350/-
3.	C/O Add. Accomodation to Govt. Sr. Sec. School at Tamber in Tehsil Jaisinghpur, Distt. Kangra (HP) (SH:- C/O Admn. Block i.e. Principal room, Office, 5 Nos. class rooms 1 No. Library room & 1 No. Computer room) (SH:- Providing E.I. therein).	5,79,598/-	11600/-	One Year	8	350/-
4.	Annual repair and Comprehensive Maintenance of 8 Nos. Elevators "KONE" make installed in 500 bedded Hospital Dr. RPGMC Kangra at Tanda for the year 2018-19.	12,61,700/-	25300/-	One Year	8	500/-

1.Availability of bid document and mode of submission: The bid document is available online on website http://hptenders.gov.in and bid should be submitted in online made along with scanned copies of all documents pertaining to TQC/eligibility criteria, cost of bid document and bid earnest money in prescribed form.
2.) Bidder would be required to register on the website which is free of cost. For submission of bids, the bidder is required to have **'Digital Signature Certificate'** (DSC) from one of the authorized certifying authorities (CA). "Aspiring bidders who have not obtained the user ID and Password for participating in e-tendering in HPPWD may obtain the same from the website http://hptenders.gov.in". Digital signature is mandatory to participate in the e-tendering. Bidders already possessing the digital signature issued from authorized CAs can use the same in this tender.
3.) Key Dates:
i.) Publishing date/time: 23.05.2018 at 10.00HRS
ii.) Document download/Sale start date/time: 23.05.2018 at 10.00HRS
iii.) Bid submission start date/time: 23.05.2018 at 10.00HRS
iv.) Bid submission closing date/time: 14.06.2018 at 17:00HRS
v.) Physical submission of original documents: 15.06.2018 up to 11.00HRS
vi.) Bid opening date/time: (cover-1) 15.06.2018 at 11:30HRS
4.) Tender Details: The tender documents shall be uploaded online in two covers & one covers:
1.Cover-1 shall contain scanned copies of all **"Technical documents/Eligibility information/TQC".**
2. Cover-2 shall contain **"BOQ/Financial Bid",** where contractor will quote his offer for each item.
5.) Submission of original documents: The bidders are required to submit (a) original demand draft towards the cost of bid document and (b) original bid security/ earnest money deposit (EMD), (C) affidavit of correctness of submitted documents and other technical documents in the office of Executive Engineer, Electrical Division, HPPWD Palampur, District Kangra (H.P) as specified in key dates as Sr.No.3, failing which the bids will be declared non-responsive.
6.) Bid Opening Details:- The "cover-1" of the bid shall be opened on 15.06.2018 at 11:30HRS in the office of the Executive Engineer, Electrical Division, HP PWD Palampur by the authorized officer/committee and the **"cover-1"** may be opened on the same date or a date later after technical evaluation which will be intimated separately. In the interest of renderers' they are advised to be present at the time of opening of tenders. If the office happens to be closed on the date of opening of the bids as specified, the bids will be opened on the next working day at the same time and venue.
7.) The bids for the work shall remain valid for a period not less than 120 days after the deadline date for submission.
8.) Corrigendum; if any; will be uploaded on the website **http://hptenders.gov.in** only.
9.) Other details can be seen in the bidding documents. The officer inviting tenders shall not be held liable for any delay due to system failure beyond its control. Even though the system will attempt to notify the bidders of any bid updates, the Employer shall not be liable for any information not received by the bidder. It is the bidder's responsibility to verify the website for the latest information related to the tenders.
10.) The Executive Engineer reserves the right to extend or cancel the bids without declaring any reasons thereof.

Adv. No.-0690/18-19 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक - बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार - ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना
सीता

डिपो में तीन दालें व तेल मिलना शुरू

शिमला/शैल। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के प्रवक्ता ने कहा कि अप्रैल, 2018 तक प्रदेश के उपभोक्ताओं को तीन दालें उपलब्ध करवाई गई तथा मई माह की दालें उचित मूल्य की दुकानों पर उपलब्ध करवा दी गई हैं। राज्य अनुदानित योजना के तहत दिए जाने वाले खाद्य तेलों को निविदा प्रक्रिया में तकनीकी कारणों से देरी के कारण यद्यपि आपूर्ति में एक माह का विलम्ब हुआ परन्तु मई माह में समस्त उपभोक्ताओं को खाद्य तेल पिछले माह के कोटे सहित उपलब्ध करवा दिया गया है। उन्होंने उपभोक्ताओं से अनुरोध किया है कि यदि उन्हें खाद्य वस्तुओं की प्राप्ति में कठिनाई आ रही है तो वे अपने ब्लॉक निरीक्षक या जिला नियंत्रक को इस बारे में सूचित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार उपभाक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए तत्पर है। यदि कोई डिपो धारक खाद्यान्नों के वितरण में अनियमितता करता है तो उसके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

यह है दीपक सानन का

.....पृष्ठ 1 का शेष

The said company put up a private hospital on the land instead of using it for the purpose for which permission was obtained by it. The matter was reported as a violation of Section 118 and the District Collector passed an order on 16.01.2012 vesting the land and property in the State Government. The party went in appeal to the Divisional Commissioner who remanded the case to the District Collector for decision afresh.

The Company put in an application at this stage seeking permission to change use from office and residential colony to the already functioning Tenzin hospital. The Director Health Safety and Regulation granted an essentiality certificate for this 'intended use'. However, the Revenue Department in the Secretariat in putting up the case stated that since proceedings for violation of Section 118 were on going, there was no justification for considering the case. Permission to change use, as a post facto case would not be possible, since there is no provision for such approval in the Act. However, the then Principal Secretary (Revenue) Shri Tarun Shridhar overruled the office and put up the case for approval of the Chief Minister stating that permission for change of use from office and residential colony to private hospital be allowed as it would be of greater public benefit then the existing allowed use. The Chief Minister approved the change. Neither the Principal Secretary Revenue nor the Chief Minister deemed it necessary to obtain legal advice in the matter despite the office noting having pointed out that the law had no provision for such ex-post permission when proceedings for violation of the law are ongoing. In fact, granting such an ex-post permission would create a precedent that would make all proceedings against such violations meaningless in future. Furthermore, in the noting of the then Pr. Secretary Revenue gain to a private company by permitting a fee based private hospital has been given the cloak of public benefit which is contrary to the situation since Tenzin

-5-

hospital was being run as a for profit entity. These actions of the then Pr. Secretary Revenue and the then Chief Minister clearly fall within the ambit of an offence under Section 13 (2) of the PCA. The action of the Principal Secretary also amounts to misrepresentation.

The following actions should now be taken in the matter:

(i) The Vigilance Department should register a case under the PCA as well as Sections 421 and 120 B, IPC against Shri Tarun Shridhar and Shri Virbhadra Singh on the one hand and the key functionaries of Tenzin Construction Company Pvt. Ltd. On the other.

(ii) Disciplinary proceedings should be initiated against Shri Tarun Shridahr for failure to perform his duty and acting in the manner pointed out above.

Regularisation of Land Leases, Dalhousie

A Cabinet note was approved on 17.07.2017 to allow regularization of leases in Dalhousie town with a reduced stamp duty of 3% on registration. The exemption was carried out under a provision (Section 9) of the Stamp Act which allowed the State Government to make an exemption for a class of persons. However, despite both legal and financial implications, no consultation was carried out with either department by Shri Tarun Shridhar before placing the matter before Cabinet on 17.07.2017. The then Chief Secretary Shri V.C.Pharka as Secretary to the Cabinet is also at fault in this matter since it was his responsibility to ensure that Rules of Business are followed before a matter is allowed to be placed before the Cabinet. No clear approval of the CM was obtained to exempt securing views of Finance and Law Departments in advance.

-6-

The explanation of both officers should be called as to why disciplinary action should not be initiated against them for their failure to observe the Rules of Business in this matter.

I would request early action in all these matters since they involve grave illegalities, irregularities and loss to government. If early action is not forth coming, I will be constrained to file a Public Interest Litigation to seek redressal.

Yours faithfully,

(Deepak Sanan)

-7-

सुक्खू की कांग्रेस का अपने ही मुख्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन

शिमला/शैल। राहुल गांधी के हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सुखविंदर सुक्खू भी गजब के नेता है। कर्नाटक मसले पर देश भर में कांग्रेस पार्टी उबली हुई है। प्रदेश कांग्रेस ने भी विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन प्रदेश कांग्रेस ने यह विरोध प्रदर्शन अपनी पार्टी के मुख्यालय के बाहर ही कर दिया।

ऐसे में देश के राजनीतिक इतिहास में पहली बार हुआ है। लोग मजाक भी कर रहे हैं कि सुक्खू की कांग्रेस का यह विरोध प्रदर्शन आखिर किसके खिलाफ था। क्या यह कांगेस पार्टी के खिलाफ या राहुल गांधी के खिलाफ। अपनी ही पार्टी के कार्यालय के बाहर भला कौन प्रदर्शन करता है। पार्टी मुख्यालय के बाहर तो तब पार्टी के कार्यकर्ता या नेता प्रदर्शन या धरना देते हैं जब उनकी नाराजगी पार्टी से हो। यहां तो कांग्रेस पार्टी राज्यपाल और मोदी सरकार के खिलाफ विरोध में उतरी थी।

ऐसे में कायदे से उसे या तो राजभवन के बाहर या फिर सचिवालय क बाहर धरना देना चाहिए था। अगर वहां नहीं देना था तो माल रोड़ पर शेरे पंजाब के पास नाज पर या किसी कार्यालय के बाहर सभी विरोध प्रदर्शन करते ही है। लेकिन सुक्खू की कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। ये दिलचस्प है।

बताते है कि धरना प्रदर्शन के

लिए कांग्रेस मुख्यालय से डीसी आफिस तक आने में सुक्खू की कांग्रेस के पांव दुखते है। ऐसे में साहब लोगों ने तय किया कांग्रेस मुख्यालय के बाहर ही औपचारिकता निभा दी जाए। फोटो ही तो खिंचवा कर राहुल बाबा को भिजवाना है। सो टवीटर व फेसबुक पर फोटो शेयर भी कर दिए।

लेकिन ये कांग्रेस की लोकतंत्र व संविधान के प्रति प्रतिबद्धता और गंभीरता को दर्शाता है। साथ ही ये अपने नेता के प्रति बेईमानी की कहानी भी बयां करता है। राहुल गांधी को इस तरह की चीजें ना जाने कब समझ में आएंगी।

कांग्रेस पार्टी के ही अग्रणी संगठन युवा कांग्रेस ने भी पिछली वीरभद्र सिंह सरकार के शासनकाल में एक विवादित प्रदर्शन चक्कर स्थित भाजपा के मुख्यालय के बाहर किया था। प्रदर्शन का नेतृत्व वीरभद्र सिंह के पुत्र व तब युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह ने किया था। लेकिन बाद में भंडा फूटा कि ये तो मैच फिक्सिंग थी। विक्रमादित्य ने जब उनका कारवां बालूगंज पहुंचा तो तब विपक्ष के नेता व भाजपा के तब एकछत्र नेता प्रेम कुमार धूमल को फोन कर दिया। उनसे कहा कि वह भाजपा कार्यालय के बाहर धरना देने जा रहे है तो ध्यान रखा जाए। यह भंडा खुद धूमल ने विधानसभा में फोड़ा था।

राहुल गांधी ने तब भी संज्ञान नहीं लिया था और वह अब भी संज्ञान नहीं लेंगे। वैसे भी सुशील कुमार शिंदे और रंजीता रंजन हिमाचल में सैलानियों की मानिंद रहना ज्यादा पसंद करते हैं। विधानसभा चुनावों में उन्होंने क्या – क्या किया ये सबको मालूम है। उन्हें वीरभद्र सिंह व उनके कुनबे ने ही काबू कर लिया था। जब कांग्रेस इस लाइन पर चल रही हो तो एक के बाद एक करके राज्य तो हारेगी ही।

पौधरोपण अभियान के दौरान लगाए जाएंगे 15 लाख पौधे: जी.एस. गोराया

शिमला/शैल। प्रदेश में 9 से 15 जुलाई, 2018 के मध्य मनाए जाने वाले राज्य स्तरीय वन महोत्सव के उपरान्त आयोजित तीन दिवसीय पौधरोपण अभियान के दौरान प्रदेशभर में 15 लाख पौधे रोपित किए जाएंगे। यह जानकारी मानसून के दौरान इस वर्ष स्थानीय समुदायों की सहभागिता से आयोजित पौधरोपण अभियान के लिए फील्ड अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रैस के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन जी.एस. गोराया ने दी।

बिजली बेचने के लिये ऊर्जा निदेशालय में स्थापित होगा नियंत्रण कक्ष

शिमला/शैल। अतिरिक्त मुख्य सचिव (बहुदेशीय परियोजना एंव ऊर्जा) तरूण कपूर द्वारा ऊर्जा निदेशालय के कामकाज की समीक्षा बैठक की गई। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने ऊर्जा निदेशालय को निर्देश दिए कि बिजली बेचने व विद्युत उत्पादन के ऑनलाईन मूल्यांकन हेतु ऊर्जा निदेशालय में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी पन विद्युत परियोजनाओं के कार्यो की निगरानी, सुरक्षा और गुणवत्ता का अवलोकन किसी एक विभाग के पास ही होना चाहिए। इसलिए यह सारा कार्य ऊर्जा निदेशालय को सौंपना उचित होगा। उन्होंने कहा कि परियोजना की निगरानी ऑनलाईन की जाएगी। इस सन्दर्भ में पहले से चल रहे साफ्टवेयर को अपग्रेड किया जाएगा। पन विद्युत परियोजनाओं के वित्तीय घटकों लाडा फंड, केट प्लान, निःशुल्क बिजली, आरएण्डआर प्लान इत्यादि जो टैरिफ को प्रभावित कर रहे हैं उनके अवलोकन व कम करने हेतू ऊर्जा निदेशालय एक विस्तृत अध्ययन करवाएगा।

कपूर ने कहा कि ऊर्जा निदेशालय के अधिकारियों की तकनीकी क्षमता वृद्धि हेतू एक परियोजना बनाई जाएगी। इस सन्दर्भ में ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े वैश्विक स्तर की एंजेसियों से संपर्क करने के उपरान्त समझौता ज्ञापन अमल में लाया जाऐगा। ऊर्जा क्षेत्र से संबधित पेशेवर अधिकारी /कर्मचारियों की तकनीकी क्षमता वृद्धि हेतू हर माह एक कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाएगा।

ऊर्जा ग्राम परियोजना के अन्तर्गत गांवो की ऊर्जा संरक्षण क्षमता के क्षेत्र में आदर्श गांव बनाने हेतू ऊर्जा निदेशालय हिमऊर्जा को तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। पन विद्युत उत्पादन के उत्थान हेतु इस क्षेत्र में अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय पोषण के लिए ऊर्जा निदेशालय अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर संभावनाएं तलाशेगा। उन्होंने कहा कि ऊर्जा निदेशालय पन विद्युत उत्पादकों व भविष्य में आने वाले उत्पादकों की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु लगातार बैठकें आयोजित करेगा।

मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग को दिए बेहतर कानून व्यवस्था बनाने के निर्देश

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने गृह विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्य पुलिस को पूरे उत्साह और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए जिससे प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति सुनिश्चित बनाई जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को शान्ति और सदभावना के लिए जाना जाता है, लेकिन हाल ही में कसौली घटनाक्रम के कारण राज्य पुलिस की कार्यप्रणाली पर धब्बा लगा है। भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों, इस दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पुलिस को मादक द्रव्यों, मोटरवाहन अधिनियम के उल्लघंन व महिलाओं की सुरक्षा इत्यादि के बारे में विशेष जागरूकता अभियान शुरू करने चाहिए।

उन्होंने कहा कि पुलिस को नशे की हालत में वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटना चाहिए और दोषियों के लाइसेंस रद्द किए जाएं। पुलिस को दो पहियों वाहन चालकों को हैलमेट पहनने के लिए जागरूक करने के लिए भी विशेष अभियान चलाना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिला पुलिस थानों के की कार्यप्रणाली को प्रभावी बनाया जाए और वैवाहिक विवादों के मामलों में परामर्श के लिए उचित अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। उन्होंने सड़क के गड्ढों को चिन्हित कर इनका शीघ्र सुधार करने पर भी बल दिया।

जय राम ठाकुर ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों के जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए पुलिस को पेशेवर तरीके से कार्य करना होगा। पुलिस बल को एक निष्पक्ष, नैतिक और वैध तरीके से समाज की सेवा करनी चाहिए, तभी वे बड़े स्तर पर जनता का आत्मविश्वास जीत सकेंगे।

उन्होंने निर्देश दिए कि मादक द्रव्यों के दुष्प्रभावों के बारे में स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता अभियान शुरू किए जाएं। इन अभियानों को सफल बनाने के लिए स्थानीय निकायों, पंचायतों, महिला मण्डलों और गैर-सरकारी संगठनों को भी शामिल किया जाए। इसके अतिरिक्त अवैध खनन रोकने पर भी कड़ी निगाह रखें और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

जय राम ठाकुर ने कहा कि 'गुड़िया हेल्पलाइन' और 'शक्ति ऐप' पर की निगरानी में कोई ढील नहीं दी जाए ताकि महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोका जा सके। उन्होंने 'होशियार हेल्पलाइन' को और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया ताकि खनन, मादक द्रव्यों के दुरूपयोग और वन माफिया मामलों को नियंत्रित किया जा सके और दोषी को उचित दण्ड मिले।

बैठक में सूचित किया गया कि पिछले चार महीनों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करने वालों से 7.6 करोड़ रुपये वसूल किए गए। इसके अतिरिक्त, खनन अधिनियम के तहत 1687 लोगों के चालान काट कर 70 लाख रुपये का जुर्माना वसूल किया गया और वन अधिनियम के तहत 13 करोड़ रुपये की वन सम्पति जब्त की गई।

मुख्य सचिव विनीत चौधरी ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि पुलिस विभाग अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए समर्पण भाव से कार्य करेगा।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह बी. के अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जाएगा।

पुलिस महानिदेशक एस.आर मरडी ने कहा कि पुलिस बल को और अधिक सशक्त बनाने के लिए एक योजना 15 दिनों के भीतर तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि अपराधों पर नियत्रंण पाने के लिए विभाग नई योजनाओं पर भी कार्य करेगा।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था अनुराग गर्ग ने इस अवसर पर विभाग की ओर से प्रस्तुतीकरण दिया।

प्रदेश में चलाया जाएगा 'पोलीथीन हटाओ, पर्यावरण बचाओ अभियान'

शिमला/शैल। पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के निदेशक डी.सी. राणा ने कहा कि इस वर्ष के विश्व पर्यावरण दिवस में पर्यावरण प्लास्टिक प्रदूषण विषय के अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जनता के सहयोग से एक साप्ताहिक पॉलीथीन उन्मूलन कार्यक्रम 'पोलीथीन हटाओ, पर्यावरण बचाओ अभियान' पूरे राज्य में 27 मई से 2 जून 2018 तक चलाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि यह अभियान प्रदेश के प्रत्येक जिले में चलाया जाएगा जिसका समन्वय एवं निगरानी सम्बन्धित जिला उपायुक्त स्वयं करेंगे। यह कार्यक्रम शहरी स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थानों द्वारा संचालित किया जाएगा तथा इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी सरकारी कार्यालयों, संस्थानों एवं गैर-सरकारी संस्थानों का सहयोग भी लिया जाएगा। इस कार्यक्रम में स्थानीय मंत्रियों, विधायकों एवं अन्य जन-प्रतिनिधियों को शामिल कर उनके नेतृत्व में आम जनता को प्रेरित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के दौरान पूरे प्रदेश भर से प्लास्टिक कचरा एकत्रित किया जाएगा, जिसका उपयोग लोक निर्माण विभाग सड़क बनाने में करेगा तथा जिस कचरे का उपयोग सड़क निर्माण में न हो सके उसे सीमेंट उद्योगों में इंधन के रूप में प्रयोग किया जाएगा। इस दौरान नदी, नालों, पानी के स्रोतों के आसपास के क्षेत्र, पर्यटक स्थलों की सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सम्बन्धित शहरी स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थानों, विभागों एवं संस्थाओं द्वारा प्रदेश को साफ-सुथरा रखने के लिए किए गए बेहतरीन कार्यो का मूल्यांकन कर प्रोत्साहित व सम्मानित भी करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने सभी प्रदेशवासियों से इस कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की है।

आलसी का न वर्तमान होता है, न भविष्य।
.....चाणक्य

सम्पादकीय

कर्नाटक में सत्ता ही नही नीयत और नीति भी हारी भाजपा

कर्नाटक में अन्ततः सत्ता भाजपा के हाथ नही आ पायी है। भाजपा की यह हार सत्ता से अधिक उसकी नीयत और नीति की हार है। क्योंकि जिस तर्क से उसने गोवा, मणीपुर, मेघालय और बिहार में सरकारें बनायी थी उसी तर्क पर उसके हाथ से कर्नाटक की सत्ता निकल गयी। गोवा, मणिपुर, मेघालय और बिहार में सभी जगह चुनाव परिणामों के बाद गठबन्धन बनाकर सत्ता हासिल की गयी थी लेकिन जब कर्नाटक में कांग्रेस और जद (एस) ने उसी रणनीति का सहारा लेकर चुनावों के बाद गठबन्धन बनाकर अपना बहुमत बना लिया और राज्यपाल ने गठबन्धन को सरकार बनाने के लिये आमन्त्रित न करके भाजपा को सबसे बड़े दल के रूप में यह न्यौता दे दिया तब सर्वोच्च न्यायालय में यह मामला पहुंच गया। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यपाल के फैसले पर अपना कोई अन्तिम फैसला न देते हुए उसमें आंशिक सुधार करके बहुमत सिद्ध करने के लिये 15 दिन के समय को घटाकर शनिवार चार बजे तक का समय कर दिया। सदन की कार्यवाही चलाने के लिये अध्यक्ष का होना आवश्यक होता है लेकिन अध्यक्ष का विधिवत चुनाव सदस्यों द्वारा शपथ लेने के बाद ही होता है और शपथ दिलाने के लिये राज्यपाल प्रोटम अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। यहां राज्यपाल ने जिस विधायक को प्रोटम स्पीकर नियुक्त किया उस पर कांग्रेस और जद (एस) ने एतराज उठाया। मामला एक बार फिर सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा। न्यायालय ने प्रोटम स्पीकर को तो नही हटाया लेकिन सदन की सारी कारवाई के लाईव टैलीकास्ट के आदेश कर दिये। इस तरह जब सदन की कारवाई चली और मुख्यमन्त्री येदियुरप्पा ने विश्वास मत का प्रस्ताव रखा तब इस प्रस्ताव पर मतदान होने से पूर्व ही अपने पद से त्यागपत्र दे दिया।

इस तरह चुनाव परिणामों से लेकर मुख्यमन्त्री के त्यागपत्र देने तक जो कुछ घटा है उससे स्पष्ट हो गया है कि भाजपा ने सत्ता हथियाने के लिये कोई कोर-कसर नही छोड़ी थी। इन प्रयासों में मीडिया चैनलों और सोशल मीडिया में सरदार पटेल से लेकर आपातकाल और बुटा सिंह प्रकरण तक का सारा राजनीतिक इतिहास देश के सामने अपने ही तर्कों के साथ परोसा गया। यह कहने का प्रयास किया गया कि कांग्रेस ने भी भूतकाल में ऐसा ही कुछ किया था इसलिये आज भाजपा को वह सब कुछ दोहराने का दो गुणा हक हासिल हो गया है। इसमें भाजपा के पक्षधरों ने एक बार भी यह नही माना कि जो कुछ उसने गोवा, मणिपुर और मेघालय में किया था वही सबकुछ अब कांग्रेस और जद(एस) कर रहे हैं वह भी जायज है। सत्ता के इस खेल के लिये भाजपा जिस हद तक चली गयी है उससे भाजपा की नीयत और नीति दोनों पर एक बड़ा सवालिया निशान लग गया है। क्योंकि इस चुनाव में जिस हद तक मोदी, अमितशाह और योगी चुनाव प्रचार में चले गये थे उससे यह चुनाव एक तरह से केन्द्र सरकार बनाम कांग्रेस होकर रह गया था। चुनाव प्रचार में जिस तरह से भाषायी मर्यादाएं लांघ दी गयी थी उसको लेकर पूर्व प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंह को भी राष्ट्रपति को पत्र लिखने के लिये बाध्य होना पड़ा है। लेकिन इस सारे प्रचार के बावजूद मोदी, शाह और योगी भाजपा को बहुमत नही दिला पाये। बल्कि वोट शेयर में भी कांग्रेस को 38% तो भाजपा को 36% वोट हासिल हुए हैं। प्रधानमन्त्री के इतने प्रयासों के बाद भी भाजपा को बहुमत न मिल पाना और उसके बाद सत्ता के लिये अपनाई गयी रणनीति का इस तरह असफल हो जाना भाजपा के भविष्य के लिये खतरे का संकेत है। क्योंकि इससे यही संकेत और संदेश जाता है कि भाजपा देश की जनता को दे पायी है कि सत्ता के लिये वह किसी भी हद तक जा सकती है।

कर्नाटक के इस चुनाव के बाद जो कुछ घटा है उसने एक और सवाल खड़ा कर दिया है कि जिन लोगों को राजनीतिक दल अपना टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारते हैं उनमें से अधिकांश अभी तक इसके पात्र नही बन पाये हैं। भाजपा के पास आंकड़ो का बहुमत नही था। यह बहुमत कांग्रेस और जद(एस) के विधायकों को किसी न किसी तरह तोड़कर ही हासिल किया जाना था। इसी व्यवहारिक सच को जानते हुए भी राज्यपाल ने भाजपा को यह सबकुछ करने का मौका दिया इससे राजभवन की मर्यादा को ही नुकसान पहुंचा है जो कि लोकतन्त्र के भविष्य के लिये एक बड़ा खतरा बन गया है। इस सबसे हटकर भी यदि मोदी सरकार का आकलन किया जाये तो भी यह सरकार अपने ही वायदों पर खरी नही उतरती है। 2014 में सत्ता में आने के लिये यह वायदा किया था कि कांग्रेस जो 60 वर्षों में नही कर पायी है वह हम 60 महीनों में कर देंगे। अच्छे दिनों का दावा किया गया था। लेकिन बेरोजगारी और मंहगाई का जो स्तर 2014 के चुनावों से पहले था आज उससे भी बदत्तर हो चुका है। भ्रष्टाचार के खात्मे के जो दावे किये गये उनमें भी आज तक एक भी मामला अन्तिम परिणाम तक नही पहुंचा है बल्कि इस सरकार में मुख्य अभियुक्त तो खुले घूमते और सत्ता भोगते रहे और उनके सहअभियुक्त बिना फैसले के सलाखों के पीछे रहे। नोटबन्दी के फैसले ने देश की अर्थव्यवस्था को जो व्यवहारिक नुकसान पहुंचाया उससे उबरने के लिये दशकों लग जायेंगे। इसी नोटबन्दी का परिणाम आज सामने आ रही करंसी की कमी है। सत्ता के लिये सारे स्थापित संस्थानों को विश्वसनीयता के संकट के कगार पर पहुंचा दिया है। इन्ही के साथ यह सवाल भी अभी तक कायम है कि यह सरकार इतने प्रचण्ड बहुमत के बाद भी धारा 370 को हटा नही पायी है बल्कि 35(A) को लेकर जो याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय में आयी हैं उन पर अभी तक बन पाया सरकार अपना जबाव दायर नही कर पायी है। राम मन्दिर अभी तक नही बन पाया है और विश्वहिन्दु परिषद् के नेता डा. प्रवीण तोगड़िया ने जो आरोप लगाये हैं उनका भी कोई खण्डन आज तक नही आ पाया है। इस तरह कर्नाटक के घटनाक्रम ने भाजपा की नीयत और नीति पर देश के सामने एक नयी बहस का जो मुद्दा परोस दिया है उसने विपक्ष को नये सिरे से एकजुट होने का मौका दे दिया है।

प्रदेश में 108 बाईक एम्बूलेंस सेवा आरम्भ

राज्य सरकार ने प्रदेश में आपातकालीन मामले में सभी नागरिकों को तुरन्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य तथा लोगों की जान बचाने के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए 108 बाईक एम्बूलेंस सेवा (प्रथम प्रतिक्रिया बाईक) को 2 अप्रैल, 2018 को आरम्भ किया। इस सेवा के माध्यम से 22 अप्रैल, 2018 तक शिमला शहर में 100 चिकित्सा-आपात मामलों में सफलतापूर्वक सेवाएं प्रदान की गई और यह सेवा निरन्तर उपलब्ध है।

शिमला के रिज पर स्थित बेस से संचालित 108 प्रथम प्रतिक्रिया बाईक एम्बूलेंस सेवा में 2 बाईक शामिल हैं। इस सेवा के माध्यम से 20 दिनों के अल्पकाल में प्रतिदिन पांच चिकित्सा आपात मामलों में सेवाएं प्रदान करते हुए यह कीर्तिमान हासिल किया गया है।

सेवा के दौरान अधिकतम 24 प्रतिशत मामले पेट दर्द, 14 प्रतिशत मामले गैर-वाहन ट्रॉमा तथा नौ प्रतिशत मामले हृदयघात एवं बेहोश होने के पाए गए।

ये बाईक एम्बूलेंस दवाईयों, चिकित्सा उपकरण तथा ऑक्सिजन की सुविधा सहित प्राथमिक पूर्व अस्पताल देखभाल सुविधाओं से सुसज्जित है। इस सेवा का मुख्य उद्देश्य चौपहिया एम्बूलेंस सेवा के अन्तर्गत कठिन स्थानों में आपात की स्थिति में मरीजों को दो पहिया वाहनों से आपात चिकित्सा व पूर्व अस्पताल देखभाल सेवा प्रदान करना है।

बाईक एम्बूलेंस में तैनात स्टाफ, मरीज को प्राथमिक उपचार तथा स्थिरता प्रदान करते हैं। इस सेवा के माध्यम से आपात स्थितियों में से 68 प्रतिशत मामलों में मरीजों को मौके पर पूर्व अस्पताल देखभाल प्रदान की गई तथा इसके उपरान्त मरीज को अस्पताल में ले जाने की आवश्यकता नहीं पाई गई। मात्र 32 प्रतिशत मरीजों को चौपहिया एम्बूलेंस के माध्यम से पूर्व अस्पताल देखभाल प्रदान करते हुए ईलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया।

बाईक एम्बूलेंस अन्य राज्यों में संचालित बाईक एम्बूलेंस की तर्ज पर व्यस्त पर्यटन समय तथा ट्रैफिक जाम के दौरान चिकित्सा-आपात स्थिति में प्रतिक्रिया समय कटौती करने में सहायक सिद्ध हो रही है। बाईक एम्बूलेंस का एक सुनियोजित नेटवर्क सृजित किया गया है। शिमला शहर में नौ स्थानों को बाईक एम्बूलेंस के लिए चिन्हित किया गया है। इस सेवा से प्रतिक्रिया समय में 33 प्रतिशत की कटौती करने से आपात-चिकित्सा स्थिति में मृत्यु एवं बीमारी को कम करने में सहायता मिलेगी।

बाईक एम्बूलेंस सेवा 108 राष्ट्रीय एम्बूलेंस सेवा की प्रतिपूर्ति करते हुए दुर्गम स्थानों से मरीजों को मुख्य एम्बूलेंस तक पहुंचाने की सेवा प्रदान कर रही है ताकि बहुमूल्य जीवन को बचाया जा सके।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया है कि प्रदेश में लोगों की सहायता के लिए 108 राष्ट्रीय एम्बूलेंस सेवा के अन्तर्गत 198 एम्बूलेंस का एक बड़ा नेटवर्क संचालित है। इस सेवा के आरम्भ होने के उपरान्त 10.50 लाख से अधिक कॉल रिकॉर्ड किए गए तथा लगभग सभी मामलों में राहत प्रदान की गई। यह सेवा नाजुक परिस्थितियां विशेषकर गर्भवती महिलाओं के प्रसव मामलों में जीवन रक्षक सिद्ध हुई है।

मंत्री ने कहा कि प्रदेश की कठिन भौगोलिक दृष्टि को देखते हुए चिकित्सा-आपात स्थिति में लोगों को शीघ्र सेवा प्रदान करने के लिए बाईक एम्बूलेंस सेवा आरम्भ की गई। हिमाचल प्रदेश यह सेवा आरम्भ करने वाला उत्तर भारत का प्रथम राज्य है। यह सेवा किसी भी व्यक्ति द्वारा 108 पर सम्पर्क कर उपलब्ध की जा सकती है। यह सेवा चौपहिया एम्बूलेंस सेवा के लिए कठिन स्थानों पर सहायता प्रदान करने के लिए सक्षम है।

बाईक तथा मुख्य एम्बूलेंस सेवा संयुक्त रूप से प्रदेश में चिकित्सा आपात स्थितियों में लोगों की समय रहते सहायता करने में सहायक सिद्ध हो रही है।

एड़ी–चोटी का जोर तो लगा दिया था...

प्रभाकर चौबे

अंततः कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने इस्तीफा दे दिया। देना नहीं चाहते थे-इसी को कहते हैं रपट पड़े तो हर गंगा-मतलब बहुमत जुटा नहीं पाए, जाना पड़ा तो संवैधानिक निष्ठा की बात करने लगे। अपने भाषण में येदियुरप्पा ने कहा कि वे कर्नाटक की जनता की सेवा करते रहेंगे तो क्या विपक्ष में रहकर जनता की सेवा नहीं हो सकती। असल बात यह कि सत्ता चाहिए-किसी भी तरह और इस बार भाजपा का किसी भी तरह सत्ता झटक लेने का प्लान फेल हो गया। भाजपा को लगा था कि मणिपुर, गोवा, मेघालय का खेल कर्नाटक में काम आएगा। राज्यपाल ने 15 दिन का टाईम तो दिया था-उच्चतम न्यायालय बीच में आ गया।

कुछ ''बुद्धिमान'' कहते दिखे (टी.वी. पर) कि जनता तमाशा समझकर देख रही है-ऐसा कहना लोकतंत्र का अपमान है। यह तमाशा नहीं होता-लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की प्रक्रिया होती है यह। अब सवाल यह है कि कर्नाटक में भाजपा का खेल न चलने देने का श्रेय किसे दिया जाए-निश्चित ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को श्रेय जाता है-त्वरित फैसले लेते गए। ये नहीं कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी बुलाओ, कार्यदल में बात करो। तब तक तो चिड़िया दाना लेकर उड़ जाती है-मणिपुर, गोवा में यही हुआ।

इन दिनों अलग राज्यों के राज्यपाल अपनी-अपनी अलग-अलग राय रखते हैं-भाजपा की सुविधा के अनुसार, देखिए न सर, मणिपुर में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी लेकिन वहां गवर्नर सबसे बड़े गठबंधन वाले दल को सरकार बनाने का न्यौता दिया- लेकिन कर्नाटक के राज्यपाल ने सबसे बड़ी कांग्रेस को न्यौता न देकर गठबंधन को न्यौता दिया और मजेदार बात यह कि कर्नाटक में सरकार बनाने के लिए न्यौता देने का मानदंड ही बदल दिया। वहां के राज्यपाल ने अलग निर्णय दे दिया-सबसे बड़े गठबंधन को सरकार बनाने का न्यौता न देकर देश को चौंका दिया। लेकिन भाजपा को इस तरह देश के चौंक जाने से कोई मतलब नहीं उसे तो भारत विजय करनी है। राजनीति के बारे में सामंती काल से सत्ता व राजनीति में वर्चस्वता प्राप्त करने ''साम-दाम-दंड-भेद'' सब जायज है। हर तरह के हथियार का प्रयोग करना चाहिए। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में भी यही नीति अपनाई जा रही। लोकतंत्र में तो जनता तय करती है लेकिन कहने भर को जनता तय करती है, असल काम तो राजनीति करती है। राजनीति तय करती है कि कब क्या कदम उठाना है। भाजपा लोकतंत्र को सत्ता तक पहुंचने का माध्यम मानती है जबकि लोकतंत्र में लोकतांत्रिकता ही ताकतवर होना चाहिए। लेकिन राजनीतिक दल वोट लेने लोकतंत्र की दुहाई देते हैं और सत्ता पाने वही सामंती तरीका अपनाते हैं और उसे महिमामंडित भी करते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवानी शुचिता का पहाड़ा ही पढ़ते रहे हैं। उनकी पार्टी के कुछ लोग भजन के टेक की लाईन की तरह उसे सुनते रहे हैं लेकिन तरीका सामंती अपनाया जा रहा है। मजेदार बात यह कि इतना सब कर लेने पर भी भाजपा के प्रवक्ता इस कदम को

सही ठहराते हैं।

भाजपा को पता था कि कर्नाटक में वही सरकार बनाएगी। कर्नाटक में उसे 104 सीटें मिलीं-112 की जरूरत थी। उसने सरकार बना लिया। सबको पता था कि मेघालय में दो सीट पाकर भी उसने कांग्रेस को पीछे समेटकर अपने मन की सरकार बनवा ली। भाजपा को अब जोड़-तोड़ का अच्छा अनुभव हो गया है। और अब पूरा ही तंत्र उसके दबाव में है तो उसकी ही मर्जी से सब होगा। कुछ संस्थान भी भाजपा की मदद कर रहे हैं। तो इस समय भाजपा ने ''समय''को अपने वश में कर रखा है। उसके आदेश पर देश के लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हिलती-डोलती है। जो ताकतवर है उन्हें कोई दोष नहीं पड़ता-कुछ भी करें। इसी ताकत के बल पर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने चुनाव सभाओं और प्रचार में अंतिम दिन कहा था कि 120 सीट जीत कर कर्नाटक में भाजपा ही सरकार बनाएगी। वैसा ही हुआ। मतलब नाटक की स्क्रिप्ट पहले से तैयार थी-सीन बदल रहे थे। अंतिम परिणाम सबको पता था और जनता जान रही थी कि यह लोकतंत्र एक झूठ का खजाना बना दिया गया है। झूठ का सागर लूट सके तो लूट। इस स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि कब कौन क्या बोलेगा और फिर किस तरह सब घटित होते चलेगा। जनता को भरमाए रखने के लिए तरह-तरह के शुभाषित बोले जाएंगे-लोकतंत्र का रखवाला के नाम से वोट लिया जाएगा।

गत समय जितने भी विधानसभा के चुनाव हुए, जोड़-तोड़ कर भाजपा ने ही अपनी सरकार बना ली। और मजेदार बात यह कि इस तरह गठबंधन से बनी सरकार को भाजपा की सरकार कहती फिरती है-गिनती देती है कि देश में 29 राज्यों में भाजपा सरकार है-यह नहीं कहती कि भाजपा कि कुछ राज्यों में मिली-जुली सरकार में उसका हिस्सा है। और एक सोचनीय बात यह कि भाजपा अपनी राजनीति को स्वच्छ राजनीति कहती है। गत समय जितने भी चुनाव हुए सब में भाजपा ने जोड़-तोड़ का रिकार्ड बना डाला है-इस अर्थ में भाजपा पार्टी विथ डिफरेन्ट है। उसे दूसरे दलों से सहायता लेने में कोई परहेज नहीं।

भाजपा का उद्देश्य एकदम साफ है। उसे लोकसभा व राज्यसभा में पूर्ण बहुमत चाहिए। राज्यों में भी अपनी सरकार चाहिए ताकि वह संविधान में अपने दर्शन व अपनी विचारधारा के अनुरूप संशोधन कर सके। उसे संविधान में यह जो सेकुलर शब्द जोड़ा गया उससे उसे सख्त नफरत है। वह उस संविधान से सबसे पहले निकाल बाहर करना चाहती है और देश को हिन्दू राष्ट्र बनाने का उसका सपना पूरा हो यह वह चाहती है। इसके लिए वह कुछ भी कर राज्यों की विधानसभाओं व लोकसभा तथा राज्यसभा में बहुमत लाने कटिबद्ध है और उसका 'एक ही धर्म एक व्रतनेमा' ही मूल उद्देश्य रह गया है। भाजपा को लगता है कि कांग्रेस उसके लिए चैलेंज बन सकती है अतः वह कांग्रेस व राहुल गांधी तथा गांधी परिवार पर हर सभा में हमला बोलती है। चाहे वह विधानसभा के लिए ही चुनाव क्यों न हो रहे हों।

राजनीति की भाषा बड़ी निराली होती है इसे समझना कठिन है लेकिन सत्ता प्राप्ति के लिए इसमें सब जायज मान लिया गया है। जो जीता वही सिकंदर की तर्ज पर यही जीत दर्ज की जा रही है। इस समय 'समय' भाजपा के अनुकूल भी है। कांग्रेस कमजोर स्थिति में है। मजेदार बात यह कि कांग्रेस की कमजोरी का फायदा उठाकर उसके ही सदस्य भाजपा में जाने लगे हैं। कुछ लोगों का सिद्धांत होता है कि-

'जैसी बहे बयार,
पीठ पुनी तैसी कीजै।

गत चार वर्षों में हवा की दिशा में बह जाने वाले बड़े-बड़े दिग्गज जनता ने देखे और अभी देख ही रही, ऐसे लोग राजनीति में कुछ कमाने-खाने ही आते हैं- जिधर ज्यादा मजूरी मिली उधर खिसक लेते हैं। 2014 से तो रिकार्ड संख्या में कांग्रेस से पिंड छुड़ाकर भाजपा में गए। अगर आगे कांग्रेस मजबूत हुई तो वे सब हाथ जोड़े-घुटनों के बल चलते कांग्रेस में शामिल होने प्रार्थना पत्र हाथ में लिए हाईकमान की कृपादृष्टि को निहारते दिखेंगे और गुहार लगाते भी कि माई-बाप हमसे बड़ी चूक हुई। हमें क्षमा किया जाए। अब से ऐसा नहीं करेंगे। हमें पार्टी में ले लें- भले हम दफ्तर में झाड़ू लगा लेंगे। भाजपा को किसी से कोई परहेज नहीं-पार्टी छोड़कर आओ-सत्ता पाओ।

बुद्धिजीवी लोकतंत्र और लोकतांत्रिकता पर कितना ही उपदेश दें-राजनीति अपनी ही नीति पर चलेगी। राजनीति चेतेगी नहीं-वह क्रूर होती है। और अपने लाभ के सिवाय कुछ उसे पसंद नहीं। कवि ने कहा है-

फूले फले ने वैद
जदपि सुधा बरसहिं जलज।

भले आसमान में अमृत की वर्षा होने लगे, लेकिन आसमान में फूल-फल नहीं लगते-उसी तरह राजनीति को सिद्धांत की बात पसंद नहीं वह वही करेगी जिसमें उसका लाभ हो।

क्या देश का लोकतंत्र असहाय हुआ जा रहा है। लोकतंत्र में क्या केवल सत्ता पाना ही ध्येय बन गया है। जनता को केवल वोटर बना दिया गया है। होना यह चाहिए कि एक तो जो जिस दल से जीतता है उसे उसी दल में रहना होगा। इधर-उधर किया और जीवन भर के लिए चुनाव लड़ने अयोग्य घोषित किया जाए। लोकतंत्र को किसी बहुमत का बंधक न बनने दिया जाए। कर्नाटक से जो होता रहा और किया जाता रहा वह लोकतंत्र को भारी नुकसान पहुंचाने वाला है। आज सबसे बड़ा कर्म है लोकतंत्र को बचाना, संविधान को बचाना।

(देशबन्धु से साभार)

जज बी एच लोया मामले में पुनर्निरीक्षण याचिका हुई दायर

दिल्ली/शैल। बम्बई लॉयर्स एसोसिएशन ने उच्चतम न्यायालय में एक पुनरीक्षण याचिका दायर करके केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश बी एच लोया के मौत मामले में अपने आदेश की समीक्षा करने का अनुरोध किया है।

बम्बई लॉयर्स एसोसिएशन ने उच्चतम न्यायालय में एक पुनरीक्षण याचिका दायर करके केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश बी एच लोया के मौत मामले में अपने आदेश की समीक्षा करने का अनुरोध किया है।

शीर्ष अदालत ने जज लोया की मौत की स्वतंत्र जांच कराने संबंधी पांच याचिकाओं को गत 19 अप्रैल को निरस्त कर दिया था। इन याचिकाकर्ताओं में बम्बई लॉयर्स एसोसिएशन भी शामिल था।

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने गत 19 अप्रैल को यह कहते हुए याचिकाएं खारिज कर दी थी कि लोया मौत मामले की स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली इन याचिकाओं में कोई 'मेरिट' नहीं है।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा था, 'बी एच लोया की मौत के मामले में संदेह का कोई आधार

नजर नहीं आता। इसलिए मामले की स्वतंत्र जांच के आदेश का कोई आधार नहीं दिखता।' शीर्ष अदालत ने कहा था कि सीबीआई जज बीएच लोया की मौत से जुड़े घटनाक्रमों के बारे में चार न्यायिक अधिकारियों-सर्वश्री श्रीकांत कुलकर्णी, श्रीराम मोदक, आर राठी और विजय कुमार बर्डे तथा बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों- न्यायमूर्ति भूषण गवई एवं न्यायमूर्ति सुनील शुक्रे के ब्यान पर अविश्वास करने का कोई कारण नजर नहीं आता।

न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं में से एक बम्बई लॉयर्स एसोसिएशन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे की कुछ दलीलों पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि श्री दवे ने मामले से जुड़े न्यायाधीशों के खिलाफ आक्षेप लगाने से भी परहेज नहीं किया।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा था कि मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की आड़ में न्यायपालिका की छवि को भी तार-तार करने का प्रयास किया गया। न्यायालय ने कहा कि कारोबारी और राजनीतिक लड़ाई जनहित याचिकाओं के जरिये नहीं लड़ी जा सकती और संबंधित याचिकाओं में 'मेरिट' का अभाव नजर आता है।

पेयजल व सिचांई सुविधाओं के लिये 2572 करोड़ का प्रावधान : मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने मण्डी जिले के विधानसभा क्षेत्र सिराज के केलोधार में विशाल जनसमूह को सम्बोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने वर्तमान वित्त के दौरान राज्य के लोगों को पेजयल तथा सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए 2572 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयास हैं कि अधिक से अधिक क्षेत्र को सिंचाई सुविधा के अंतर्गत लाया जाए ताकि किसान पारम्परिक फसलों के बजाय फसल विविधिकरण को अपनाकर अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ कर सकें। जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका केलोधार का यह पहला दौरा है। मुख्यमंत्री ने इस दायित्व के लिए लोगों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि वर्षों के इन्तजार के उपरान्त मण्डी जिले को राज्य का नेतृत्व करने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि पिछले चार माह के दौरान राज्य सरकार ने प्रदेश व लोगों के विकास के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं आरम्भ की हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता देगी जिनकी अभी तक अनदेखी ही हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य का कार्यभार संभालने के उपरान्त सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए वृद्धावस्था की आयु सीमा को 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष किया है और इसके लिए कोई आय सीमा भी नहीं रखी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य के लोगों को उत्तरदायी, पारदर्शी तथा जबावदेह प्रशासन प्रदान करने के लिए कृतसंकल्प है। उन्होंने कहा कि अवैध खनन, नशीले पदार्थों की तस्करी तथा अवैध वन कटान की घटनाओं को अंकुश लगाने के लिए होशियार सिंह हैल्पलाइन आरम्भ की गई है। जय राम ठाकुर ने कहा कि सरकार विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सड़क कनेक्टिविटी को लेकर संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए कांधा-बाह-बटान सड़क का विस्तारीकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश उन्नति तथा खुशहाली के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि देश के 22 राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं जो देश के लोगों में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व पर विश्वास को दर्शाता है। उन्होंने राज्य के लोगों से वर्ष, 2019 के चुनावों में प्रधानमंत्री को दिल से समर्थन देने का आग्रह किया। इससे पूर्व, मुख्यमंत्री ने 358.53 लाख रुपये की लागत से निर्मित होने वाले कांधा-बाह-बटान सड़क (चरण-2) का भूमि पूजन किया। उन्होंने केलोधार में 74.26 लाख रुपये की लागत से निर्मित होने वाले सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य कार्यालय भवन एवं आवास तथा लगभग 1.50 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला केलोधार के विज्ञान भवन की आधारशिला रखी। उन्होंने केलोधार

में आईपीएच उपमण्डल का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने केलोधार पंचायत में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 15 लाख रुपये, ग्राम पंचायत बाड़ा, सरोहा तथा परवाड़ा प्रत्येक के लिए 10 लाख रुपये की घोषणा के अलावा महिला मण्डल केलोधार के लिए तीन लाख रुपये देने की भी घोषणा की। सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य तथा बागवानी मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा कि चार संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में से शिमला, कांगड़ा तथा हमीरपुर से प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने कहा कि लम्बे समय के इंतजार के बाद मण्डी संसदीय क्षेत्र ने जय राम ठाकुर के रूप में प्रदेश को मुख्यमंत्री दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश का चहुंमुखी तथा संतुलित विकास सुनिश्चित हो रहा है। सांसद राम स्वरूप शर्मा ने कहा कि राज्य के लोग प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के आभारी हैं जिन्होंने जय राम ठाकुर को राज्य का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने पहले बजट में 30 नई योजनाएं शामिल की हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्र तथा राज्य के मध्य बेहतर समन्वय के चलते हिमाचल प्रदेश देश का सर्वाधिक विकसित राज्य बनेगा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान मण्डी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की विकास के मामले में पूरी तरह से अनदेखी की गई। केलोधार ग्राम पंचायत की प्रधान जमना चौहान ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया तथा पंचायत के लिए आईपीएच का उपमण्डल प्रदान करने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने क्षेत्र की विभिन्न विकासात्मक मांगों का भी ब्यौरा दिया। शक्ति केन्द्र के अध्यक्ष जतिन्द्र कुमार ने भी मुख्यमंत्री का स्वागत किया। भाजपा के प्रवक्ता अजय राणा, भाजपा मण्डलाध्यक्ष शेर सिंह, राज्य सहकारी बैंक के निदेशक मण्डल की निदेशक रजनी ठाकुर, मण्डी के उपायुक्त ऋगवेद ठाकुर, पुलिस अधीक्षक गुरदेव शर्मा, निदेशक उच्च शिक्षा डा. अमर देव सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

बेहतर शासन के लिए किया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अधिकतम उपयोग:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में न केवल अद्भुत आर्थिक क्षमता है,बल्कि सामाजिक प्रभाव भी है और यह जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में अहम् भूमिका अदा कर सकती है। राज्य सरकार लोगों के लिये प्रभावी,पारदर्शी, उत्तरदायी तथा उत्कृष्ट शासन के लिये इसका अधिक से अधिक उपयोग सुनिश्चित करेगी। यह बात मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद द्वारा' आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' 'पोटेन्शियल एप्लीकेशन इन हिमाचल प्रदेश'पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही।

जय राम ठाकुर ने कहा कि हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अध्ययन दशकों से किया जा रहा है,लेकिन अभी तक यह कंप्यूटर विज्ञान में सर्वाधिक भ्रामक विषयों में से है। उन्होंने कहा कि विज्ञान ने जबरदस्त प्रगति की है और 20 वर्ष पहले तक हजारों मील दूर कार में बैठे अपने मित्रों अथवा पारिवारिक सदस्यों के साथ बात करने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी डिजिटल इंडिया के लिये प्रतिबद्ध है जो तकनीकी का अधिकांश उपयोग सुनिश्चित बनाने की दिशा में एक कदम है।उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अवैध निर्माण पर अकुंश लगाने तथा जंगलों का खाका तैयार करने और अवैध वन कटान पर प्रतिबंध लगाने में भी कारगर हो सकती है। उन्होंने कहा कि अवैध खनन को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अधिकतम उपयोग से रोका जा सकता है।उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रही विकासात्मक परियोजनाओं की निगरानी में भी मदद कर सकती है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार बेहतर तथा पारदर्शी प्रशासन प्रदान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी का उपयोग निर्माणाधीन

विकास परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा करना सुनिश्चित बनाने की निगरानी के लिए भी किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतवर्ष में अनेकों कम्पनियां विशेषकर ई-कॉमर्स बिजनेस तथा स्टार्ट-अप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकों का दोहन करने की शुरूआत कर रही है। उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण चुनौती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्रासंगिक डेटा एकत्रित करने,पुष्टि करने,मानकीकृत, सहसम्बद्ध, संग्रह और वितरित करना तथा गोपनीयता और नैतिकता से समझौता किए बिना इसे संगठनों, लोगों व प्रणालियों के लिए सुलभ बनाना है।

उन्होंने आशा व्यक्त की कि सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुप्रयोगों से राज्य के लोगों के लिए नए आयाम सामने आएगे।

स्वास्थ्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री विपिन सिंह परमार ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेहतर ज्ञान और अध्ययन के लिए तकनीकी के रूप में उभर रही है। उन्होंने कहा कि इससे बेहतर कल के बेहतर परिणामों में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेषकर बैंकिंग,स्वास्थ्य संचार एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में प्रमुख रूप से उभरेगा।

अतिरिक्त मुख्य सचिव विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण तथा हिमकोस्ट के अध्यक्ष तरूण कपूर ने मुख्यमंत्री तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करते हुए कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगामी कुछ वर्षों में रोजगार के अवसर सृजित करेगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को अपनी शिक्षित युवा आबादी के कारण इस क्षेत्र में मुख्य भूमिका अदा करनी है।

कम्प्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग आईआईटी मद्रास के अध्यक्ष तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स के अध्यक्ष वी.कामाकोटी ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगामी कुछ वर्षों में आर्थिक बदलाव लाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि मशीन में सभी प्रणालियां, जो बुद्धिमान निर्णय लेती हैं, को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए डिजीटल इण्डिया एक बड़ा अवसर प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा स्वीकृत की गई प्रत्येक परियोजना को जियो-टैग तथा इसकी समीक्षा व निगरानी की जा सकती है। उन्होंने कहा कि यह सरकारी परियोजनाओं में भागीदारी की भावना उत्पन्न करती है।

उन्होंने कहा कि अगले पांच वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सदुपयोग से सलाहकार समाधान, स्वास्थ्य देखभाल, सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं,बीपीओ आदि क्षेत्र नौकरियों के मुख्य केन्द्र के रूप में उभर सकते हैं।

सीएसआईआर इन्सटीट्युट ऑफ जेनोमिक्स एण्ड इन्टीग्रेटिव बायोलॉजी नई दिल्ली के निदेशक डॉ. अनुराग अग्रवाल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा मानव इंटेलिजेंस पर विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंट संरचना तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शासन के अनेक कार्यों को सम्भाल सकती हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिकित्सा क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है,क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विस्तार से चिकित्सा ज्ञान का भी विस्तार हुआ है। सीएसआईआर सेंट्रल इलैक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग रिसर्च इन्सटिट्यूट पिलानी राजस्थान के निदेशक डॉ. सान्तनु चौधरी ने समावेशी विकास के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर प्रस्तुति दी।

हिमकास्ट एस हिमाचल प्रदेश के सदस्य सचिव कुनाल सत्यार्थी ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा। अतिरिक्त मुख्य सचिव बीके. अग्रवाल और अनिल खाची, प्रधान सचिव आर.डी.धीमान, प्रबोध सक्सेना तथा ओंकार शर्मा सचिव अरूण शर्मा व पुर्णिमा चौहान तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

सुशासन–प्रदेश सरकार की विशिष्टता

शिमला/शैल। सुशासन हमेशा से प्रदेश सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में रहा है। हिमाचल प्रदेश सात विषयों, 18 फोकस विषयों तथा 45 संकेतक आत्म मूल्यांकन तंत्रों के माध्यम से सुशासन को मापने के लिए जिला गुड गवर्नेन्स इंडेक्स को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है।

प्रदेश में प्रमुख सेवाओं को ऑनलाइन प्रदान किया जा रहा है, जिससे लोगों को लम्बी दूरी तय करके जिला मुख्यालयों पर न जाना पड़े। हर प्रकार की आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं ताकि नागरिकों को शीघ्र ही समयबद्ध तरीके से बुनियादी सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सके।

प्रदेश सरकार हि.प्र. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 को अधिक प्रभावी ढंग से कार्यान्वित कर रही है। इस अधिनियम के तहत सरकार 187 समयबद्ध सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। जहां एक ओर अधिनियम में निर्धारित समयावधि के भीतर सेवाओं को प्रदान करने का प्रावधान है, वहीं दूसरी ओर यदि अधिकारी सेवा प्रदान करने में विफल रहता है अथवा पर्याप्त और उचित कारण के बिना ऐसी सेवा प्रदान करने में देरी कर रहा है, तो उस अधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई करने का प्रावधान भी किया गया है। इससे नागरिकों को विभिन्न अधिकारों के बारे में जागरूक करने में भी मदद मिलेगी।

प्रदेश सरकार 187 समयबद्ध सेवाएं 26 विभागों के माध्यम से उपलब्ध करवा रही है। स्वास्थ्य, वन, पंचायती राज, राजस्व, उद्योग, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, कृषि, पशु पालन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा नगर एवं शहरी नियोजन, ऊर्जा, गृह निर्माण, परिवहन और कई अन्य विभाग हैं, जो इस अधिनियम के दायरे में लाए गए हैं। इन सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए 12582 अधिकारियों को नामित किया गया है, जिसकी निगरानी जिला एवं प्रदेश स्तर पर 56 नोडल अधिकारियों के माध्यम से की जा रही है। इस कानून के माध्यम से विभिन्न सेवाएं तय समय सीमा में प्रदान की जाती है। इस अधिनियम के अन्तर्गत पांच हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान उन अधिकारियों के लिए किया गया है, जो बिना किसी ठोस कारण के सेवाएं प्रदान करने में असमर्थ रहते हैं। इससे सुशासन के मानकों में सुधार आएगा तथा सुशासन को एक मजबूत आधार मिलेगा।

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार चरागाहों को आज्ञा अथवा स्वीकृति 24 घंटों में प्रदान करना, जन्म-मृत्यु तथा विवाह पंजीकरण की सुविधा दो दिनों के भीतर, बीपीएल प्रमाणपत्र 24 घण्टे के अन्दर, वरिष्ठ नागरिक को पहचान पत्र तीन दिनों में, जल कॅनेक्शन (घरेलू व व्यवसायिक) 30 दिनों में, मिट्टी परीक्षण 60 दिनों में, दिव्यांगों को पहचानपत्र तीन दिनों के अन्दर इत्यादि कुछ ऐसी सुविधाएं हैं, जो नागरिकों को प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने ई-पंजीकरण पोर्टल शुरू किया है, जिससे लोगों को कष्टप्रद प्रक्रिया, पंक्तियों में खडे होने तथा पेपर प्रपत्र आदि भरने से भी निजात मिलेगी। इस विषय में अधिक जानकारी प्रशासनिक सुधार आयोग की वैबसाईट पर उपलब्ध है।

सुशासन के लक्ष्य को सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार ने सीएम डैशबोर्ड लॉच किया है। इसके माध्यम से विभिन्न योजनाओं की प्रगति को मुख्यमंत्री द्वारा एक नजर में सीधे तौर पर निगरानी की जा सकेगी। विभागों के विभिन्न आंकड़ों की जानकारी इस डैशबोर्ड पर उपलब्ध होगी, जिससे 24/7 विभागीय गतिविधियों की जानकारी मिलेगी।

लोक कल्याण हमेशा से सरकार का प्राथमिक उद्देश्य रहा है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 187 समयबद्ध सेवाएं प्रदान करना, निःसंदेह पारदर्शी एवं उत्तरदायी प्रशासन प्रदान करने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। यह अधिनियम प्रदेश सरकार के विकास की रफ्तार बढ़ाने तथा लोगों को तय समय सीमा के भीतर जरूरी सेवाएं प्रदान करने में और विकास की गति में तेजी लाने के प्रयासों को और भी मजबूत करेगा।

राष्ट्रपति प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री की सुचारू यातायात के लिये नई पहल

शिमला/शैल। भारत के राष्ट्रपति के प्रदेश की राजधानी के वर्तमान दौरे के मद्देनजर मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने अपने मंत्रिमण्डल के सहयोगियों तथा अधिकारियों के साथ शहर के विभिन्न भागों में राष्ट्रपति के समारोहों में शामिल होने के लिए यात्रा के लिए टेम्पो ट्रेवलर्स का उपयोग करने की एक नई पहल की है।

हिमाचल पथ परिवहन निगम के कुल मिलाकर आठ ऐसे वाहनों की व्यवस्था की गई है, जिन्हें राष्ट्रपति के शिमला में प्रवास के दौरान उपयोग में लाया जाएगा। मुख्यमंत्री, मंत्रिमण्डल के सदस्य तथा अधिकारी इन वाहनों में एट होम, नागरिक अभिनन्दन तथा राष्ट्रपति भवन (द रिट्रीट) में विभिन्न समारोहों में शामिल होने के लिए यात्रा करेंगे।

मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिन्दल, मंत्रिमण्डल के सदस्यों, मुख्य सचिव और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों सहित सचिवालय से रिट्रीट तथा वापिस सचिवालय टेम्पो ट्रेवलर्स से यात्रा की।

जय राम ठाकुर ने कहा कि सरकार की यह पहल आम जनमानस को असुविधा से बचाने में मदद करेगी, क्योंकि कम वाहनों का उपयोग शहर में सुचारू आवाजाही को बनाए रखने में सहायक सिद्ध होगा। यह पहल लागत में कमी तथा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक प्रयास है।

वर्ष के आखिर तक 700 डिजिटल गांवों की स्थापना की जाएगी : रविशंकर प्रसाद

शिमला/शैल। केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) के धनौरी कलां गांव में कहा कि साझा सेवा केन्द्रों (सीएससी) के नेटवर्क का विस्तार वर्ष के आखिर तक 2.50 लाख ग्राम पंचायतों में किया जाएगा, जो भारत के गांवों में विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं सुलभ कराने वाले पहुंच केन्द्र हैं।

डिजिटल गांवों में अब उपलब्ध विभिन्न डिजिटल सेवाओं को प्रदर्शित करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रसाद ने कहा कि सीएससी सुहिम ने इलेक्ट्रॉनिक बुनियादी ढांचे के जरिये ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ दूरदराज के गांवों में बैंकिंग, पेंशन, डिजिटल साक्षरता एवं टेलीमेडिसिन जैसी व्यापक बदलाव लाने वाली सेवाओं के अभियान का रूप ले लिया है। इस अवसर पर उपस्थित केन्द्रीय संस्कृति मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) महेश शर्मा ने कहा कि सीएससी परियोजना ग्रामीण समुदायों को टिकाऊ डिजिटल पहुंच सुलभ करा रही है और ग्रामीण समुदाय के उत्थान के लिए आवश्यक गति प्रदान कर रही है।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के रणनीतिक केन्द्र के रूप में स्थापित सीएससी म डल ने प्रायोगिक चरण में छह गांवों को गोद लिया है। डिजिगांव अथवा डिजिटल गांव की परिकल्पना आपस में संबद्ध एक ऐसे गांव के रूप में की गई है, जहां के नागरिक केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों और देश के ग्रामीण क्षेत्रों अथवा दूरदराज के गांवों में कार्यरत निजी कंपनियों की विभिन्न ई-सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। इन डिजिगांवों द्वारा व्यापक बदलाव लाये जाने की आशा है और उसके साथ-साथ ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा मिलने तथा सामुदायिक भागीदारी एवं सामूहिक कदमों के जरिये ग्रामीण क्षमताओं एवं आजीविका का सृजन किये जाने की उम्मीद है। डिजिटल गांवों के सामुदायिक केन्द्र में सोलर लाइटिंग सुविधा स्थापित की गई है। इसके अलावा, डिजिटल गांवों को एलईडी एसेम्बली यूनिट, सैनिटरी नैपकिन यूनिट (आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के सक्रिय सहयोग से) और वाई-फाई चौपाल (ग्रामीण वाई-फाई बुनियादी ढांचा एवं कई तरह के उपयुक्त एप्लीकेशन्स) से भी लैस किया गया है।

इन गांवों में नियमित सीएससी सेवाओं जैसे कि बैंकिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा और वित्तीय सेवाओं के अलावा कई अन्य सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। पायलट परियोजना के लिए आरंभिक चरण में विभिन्न गांवों का चयन किया गया है, जिनमें पियाला एवं दयालपुर (हरियाणा), पूर्वी चंदनक्यारी एवं शिवबाबूदीह (झारखंड) और धनौरी कलां एवं सुल्तानपुर (उत्तर प्रदेश) शामिल हैं।

सरकार को बड़ी चुनौती बिगड़ती कानून व्यवस्था को पुनःपटरी पर लानाःपरमार

शिमला/शैल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार ने कांग्रेस के कुछ नेताओं द्वारा प्रदेश में भाजपा सरकार के लगभग चार माह के कार्यकाल पर की गई टिप्पणी का कड़ा संज्ञान लेते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस के नेता सत्ता से बाहर रहने के कारण भारी हताशा में हैं और इस प्रकार की निराधार ब्यानबाजी कर लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं।

एक प्रेस वक्तव्य में विपिन सिंह परमार ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को प्रदेश में कानून व्यवस्था पर टिप्पणी करना का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि राजधानी शिमला में बालक 'युग' की निर्मम हत्या तथा गुडिया के साथ किए गए अमानवीय कृत्य से पूरा प्रदेश शर्मसार हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को इस प्रकार के आधारहीन ब्यान देने से पहले यह ज्ञात होना चाहिए कि उनके कार्यकाल में एक अबोध बालक व एक स्कूल की छात्रा भी सुरक्षित नहीं थी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा भी पूरे प्रदेश में कानून -व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से चरमरा गई थी तथा लोगों का पुलिस व सरकार से विश्वास उठ गया था।

परमार ने कहा कि गुडिया हत्याकांड में दोषियों को पकड़ना तो दूर सरकार व पुलिस दोषियों को बचाने में लगी थी जिसका परिणाम यह हुआ कि गुडिया हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए गठित विशेष जांच टीम के सभी नौ अधिकारी व कर्मचारी एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या के आरोप में सलाखों के पीछे है। इस प्रकरण से प्रदेशवासियों का पुलिस बल से विश्वास ही उठ गया था। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के सम्मुख सबसे बड़ी चुनौती प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को पुनः पटरी पर लाना तथा लोगों का पुलिस व प्रशासन में विश्वास वापिस लाना था।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को सुझाव दिया कि वे इस तरह के राजनीतिक शगूफे छोड़ना बन्द करें क्योंकि देश व प्रदेश के लोग उनके बहकावे में आने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि आज पूरा देश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जैसे चट्टान के साथ खड़ा है और उनके साथ एक नए भारत व श्रेष्ठ भारत के निर्माण का सपना देख रहे हैं।

सड़कों के रखरखाव के लिए 200 करोड़ आवंटित

शिमला/शैल। राज्य सरकार ने सड़कों के उपयुक्त रखरखाव तथा पक्का करने के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं ताकि यात्रियों की आवाजाही सुविधाजनक हो। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने मण्डी जिले के विधानसभा क्षेत्र सिराज के धरोट में जनसभा को सम्बोधित करते हुए कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य का संतुलित व चहुंमुखी विकास सुनिश्चित बनाना प्रदेश सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि 25 करोड़ रुपये की लागत से पंडोह-कांडा सड़क का विस्तार व सुधार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र के लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सुनिश्चित कर रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता मिले, क्योंकि राज्य की 90 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सर्वाधिक विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने राज्य को एम्स, पीजीआई का सैटेलाईट सेंटर, आईआईआईटी, 69 राष्ट्रीय राजमार्ग तथा एक हजार करोड़ से अधिक की बागवानी परियोजना जैसी अनेक विकासात्मक परियोजनाएं प्रदान की हैं।

मुख्यमंत्री ने गोहर-खाची सड़क के सुधार के लिए पांच लाख रुपये, देवीधार पंचायत में दो ट्रेक्टर सड़कों के लिए पांच लाख रुपये, बस्सी पंचायत में सड़कों के सुधार के लिए पांच लाख रुपये, महिला मण्डल भवन के लिए तीन लाख रुपये तथा डडोह में सामुदायिक केन्द्र के लिए दो लाख रुपये की घोषणाएं की। उन्होंने अनुसूचित जाति घटक योजना के अंतर्गत क्षेत्र में सड़क के निर्माण के लिए 10 लाख रुपये प्रदान करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री को इस अवसर पर अनेक संगठनों, एसोसिएशनों तथा सांस्कृतिक संगठनों द्वारा सम्मानित किया गया। इससे पूर्व, मुख्यमंत्री ने 25 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाली पंडोह-कांडा सड़क के सुधार तथा विस्तार के लिए भूमि पूजन की रस्म पूरी की। उन्होंने 201.60 लाख रुपये की लागत से निर्मित होने वाले डीपीएफ पराला-मंडप सड़क चरण-2 के लिए भूमि पूजन किया। उन्होंने बस्सी तथा धरोट ग्राम पंचायतों के लिए 73.21 लाख रुपये की लागत की उठाऊ जलापूर्ति योजना, 65 लाख रुपये से बनने वाले वन विश्राम गृह धरोट तथा 1.30 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले राजकीय उच्च पाठशाला धरोट के भवन की आधारशिला रखी। उन्होंने नव- स्तरोन्नत राजकीय उच्च पाठशाला धरोट को आरम्भ करने की रस्म भी पूरी की।

सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक एवं मालिक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

क्या फेर बदल से प्रशासन पर पकड़ बन जायेगी

शिमला/शैल। जयराम सरकार को सत्ता में आये पांच महीने हो गये हैं। इस सरकार में मुख्यमन्त्री सहित कुल बारह मन्त्री हैं जिनमें से छः लोग पहली बार मन्त्री बने हैं और छः लोग पहले भी मन्त्री रह चुके हैं। मुख्यमन्त्री जयराम स्वयं पहले भी मन्त्री रह चुके हैं तथा बीस वर्षो से लगातार विधानसभा में रहे हैं। यह उनकी पांचवी टर्म है। इससे यह कहा जा सकता है कि इस सरकार और मुख्यमन्त्री को अनुभवहीन कहना ज्यादा सही नही होगा। फिर मन्त्रीयों के अतिरिक्त सरकार के पास मीडिया सलाहकार, राजनीतिक सलाहकार और मुख्यमंत्री के साथ दो ओएसडी हैं। यह सब लोग राजनीति से जुड़े लोग हैं। बल्कि राजनीतिक सलाहकार तो पेशे से वकील भी रह चुके हैं लेकिन जिस तरह का प्रशासनिक फेरबदल सामने आया है उसमें एफ सी अपील का काम चार अधिकारियों को दिया गया है। ऐसा प्रयोग सरकार में पहली बार हुआ है। कभी प्रशासन में एग्रीकल्चर प्रौडक्शन कमीशनर और वित्तायुक्त अपील मुख्य सचिव के बाद दूसरे सबसे बड़े अधिकारी होते थे। वित्तायुक्त अपील तो उच्च न्यायालय के न्यायधीश के समकक्ष होता है क्योंकि उसका फैसला अन्तिम होता है। उसकी अपील उच्च न्यायालय में संविधान की धारा 226 के तहत ही आती है अन्यथा नहीं। बल्कि अंग्रेज शासन के दौरान तो यह दोनों पद मुख्य सचिव से भी बड़े होते थे।

आज प्रदेश में सबसे ज्यादा लिटिगेशन राजस्व के मामलों की है। हजारों की संख्या में मामले वर्षो से लंबित चल रहे हैं। लोगों को इन्साफ नही मिल रहा है। इन मामलों की सुनवाई की राजस्व में दो ही अदालतें हैं। पहली है डिविजनल कमीश्नर और उसकी अपील आती है एफसी अपील के पास। प्रदेश में मण्डलायुक्त केवल तीन ही हैं जो पूर्णकालिक यही काम करते हैं। अब अपील का काम चार लोगों में बांटकर सरकार ने जो अपनी ओर से राहत देने का प्रयास किया है उससे व्यवहारिक तौर पर लोगों को राहत की बजाये पेरशानी खड़ी हो गयी है क्योंकि चार लोगों में बारह जिले बांट दिये हैं लेकिन उसमें यह किया गया है कि जिसको मण्डी का काम दिया गया है उसी को कुल्लू का नही दिया गया है। ऐसा नही हुआ है कि जिसको हमीरपुर दिया है उसी को ऊना दिया गया हो। कांगड़ा, चम्बा एक को दिया गया हो क्योंकि पेशीयां तो सबको एक बार दी गयी हैं उसके मुताबिक जब आदमी पेशी भुगतने आता है तो वहां मौके पर पता चलता है कि उसका जिला तो किसी और के पास है। सरकार ने यह प्रयोग करने से पहले केसों की जिलावर लिस्टें ही नही बनाई है और न ही लोगों को यह सूचित किया गया है कि उनके जिले में कब कौन केस सुनने आयेगा। फिर जिन लोगों को अपील का काम दिया गया है उनको साथ ही और महकमें भी दिये गये हैं। जबकि यदि सरकार सही मायनों में लोगों को शीघ्र न्याय देना चाहती है तो उसे अपील का काम पूर्णकालिक देना चाहिये था भले ही चार की जगह तीन लोगों को मण्डल वार यह काम दिया जाता। आम आदमी में

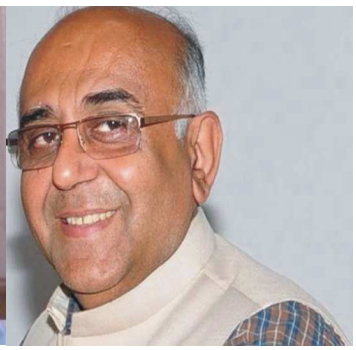

इससे जनता में सरकार की अनुभवहीनता का सन्देश गया है। इस प्रयोग से तो कोई भी अधिकारी एक वर्ष में दस केस नही निपटा पायेगा।

इसी तरह का सदेश फेरबदल से गया है क्योंकि यह इस अल्प समय में ही सरकार का दूसरा बड़ा प्रशासनिक फेरबदल सामने आया है। जो प्रशासनिक फेरबदल सामने आये हैं उनसे यह स्पष्ट है कि इसमें लगभग सभी अधिकारी प्रभावित हुए हैं। निचले स्तर पर अभी फेरबदल होना बाकि है। इस फेरबदल में कई अधिकारियों को इतना काम दे दिया गया है जिसका निपटाया जाना उनसे संभव ही नही होगा। इतने अधिक काम में कहीं न कहीं ऐसी चूक हो जाना संभव है जो पूरी सरकार पर भारी पड़ सकती है। दूसरी ओर से कई अधिकारियों को लगभग खाली बिठा दिया गया है जिनके पास दिन में दस फाईलें नही आयेंगी। इस तरह के फेरबदल से फिर सरकार को लेकर कोई सकारात्मक सदेश नही गया है। सरकार के कई नीतिगत ऐसे फैसले हैं जिनमें व्यवहारिक विसंगतियां हैं जिनका प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। कांग्रेस के वीरभद्र शासन पर जो रिटायरड और टायरड का आरोप लगाया जाता था आज अभी चार माह में ही इस सरकार पर भी वही आरोप लगना शुरू हो गया है। अवैध निर्माणों और अवैध कब्जों के आरोप पर सर्वोच्च न्यायालय से लेकर प्रदेश उच्च न्यायालय तक सभी जगह सरकार से उन अधिकारियों की सूची मांगी गयी है जो इस सबके लिये जिम्मेदार रहे हैं। जिनको न्यायालय चिन्हित करके उन पर कारवाई के निर्देश दे चुका है उनके खिलाफ अभी तक कोई कारवाई नही हो पायी है। इससे भी यही सदेश जा रहा है कि मुख्यमन्त्री और सरकार ही उनको संरक्षण दे रहे हैं।

इसमें मुख्य सचिव पर भी यह सवाल उठ रहा है कि इन्होनें तो स्वयं वीरभद्र के शासनकाल में अनदेखी और असन्तुलन का दंश झेला है। इन्साफ के लिये कैट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था। संजीव चतुर्वेदी के मामले में मीडिया में बहुत कुछ सामने आ चुका है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे मामले का जिस जरह से संज्ञान लेकर प्रदेश उच्च न्यायालय को एक तरह से निर्देशित किया है उससे पूरे प्रकरण की गंभीरता और बढ़ गयी है। इस तरह की स्थितियों का जिस मुख्य सचिव ने सामना किया हो उसके समय में भी यदि प्रशासनिक असन्तुलन और विसंगति सामने आयेगी तो इसका संदेश फिर सरकार को लेकर नकारात्मक ही जायेगा। इन बहुत सारे मामलों पर मुख्यमन्त्री और सरकार को समय रहते विचार करना होगा। आज चार माह में ही यह चर्चा चल निकलना ही सरकार का सन्देश जनता में सकारात्मक नही जा रहा है यह सलाहकारों और शुभचिन्तकों के लिये बड़ा सवाल बनने जा रहा है। क्योंकि इतने अल्प समय में इस तरह के फेरबदलों से प्रशासनिक पकड़ बनने की धारणा ही आधारहीन है। क्योंकि हर अधिकारी को जनता के पैसे से भारी पगार मिलती है और उसके अनुरूप व उनसे बराबर का काम लेना सरकार और मुख्यमन्त्री की वैधानिक जिम्मेदारी है।

अवैध कब्जाधारकों की फिर मांगी उच्च न्यायालय ने सूचना

वर्ष 2002 में अवैध कब्जे नियमित करने के लिये आये थे 167339 शपथ पत्र

शिमला/शैल। प्रदेश उच्च न्यायालय ने सौ बीघा से अधिक के अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ कारवाई करने के लिये एक एसआईटी का गठन किया था। इस एसआईटी ने अपनी स्टेट्स रिपोर्ट अदालत में सौंपते हुए यह जानकारी दी है कि उसने अब तक 1634 बीघा भूमि से करीब 33 हजार पेड़ काट दिये हैं। इस स्टेट्स रिपोर्ट का संज्ञान लेने के बाद अदालत ने सरकार को अतिरिक्त शपथ पत्र दायर करके और अवैध कब्जाधारियों की सूची अदालत में सौंपने के निर्देश दिये है। इससे पूर्व भी उच्च न्यायालय के अन्य मामले में अवैध कब्जा धारकों के खिलाफ मनीलॉड्रिंग के तहत कारवाई करने के आदेश दे चुका है। लेकिन सरकार ने अवैध कब्जों को हटाने के लिये अब तक अपनी ओर से कोई कारवाई नही की है। कारवाई तो प्रदेश उच्च न्यायालय की सख्ती और इस संबंध में एसआईटी बनाये जाने के बाद शुरू हुई है। आज भी कांग्रेस और भाजपा की ओर से संगठन स्तर पर कोई आवाज नही आई है। बल्कि पूर्व मुख्यमन्त्री शान्ता कुमार, वीरभद्र और प्रेम कुमार धूमल आज तक अवैध कब्जों के प्रकरण पर खामोश बैठे हैं। वीरभद्र के कार्यकाल में तो कांग्रेस विधायकों ने अवैध कब्जों को नियमित करने के लिये वाकायदा पत्र लिखा था। ऐसे पत्र लिखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि ऐसे जनप्रतिनिधि इनअवैधताओं के खिलाफ कभी कोई कारवाई नही चाहेंगे।

लेकिन इस प्रकरण में प्रशासन की भूमिका भी सन्देह के घेरे में ही है। क्योंकि उच्च न्यायालय सरकार से अवैध कब्जाधारकों की सूची मांग रहा है जो कि ठीक से नही दी जा रही है। इस संद्धर्भ में यह स्मरणीय है कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2002 में अवैध कब्जों को नियमित करने के लिये विधानसभा से एक नीति पारित करवाई थी। इस नीति के तहत अवैध कब्जाधारकों से सरकार ने वाकायदा शपथ पत्र के साथ अपना अवैध कब्जा घोषित करके उसे नियमित किये जाने का आवेदन मांगा था। उस समय सरकार की इस नीति के तहत 1,67,339 आवदेन सरकार के पास आये थे। इन आवदेनों से यह स्पष्ट हो गया था कि इतने अवैध कब्जाधारक प्रदेश में हैं। यहआवेदन सरकार के पास वाकायदा शपथ पत्र के साथ आये थे। जब इतनी बड़ी संख्या में अवैध कब्जाधारक सामने आये तब सरकार की इस नीति को ही उच्च न्यायालय में CWP No 1028 of 2012 और CWP No 1645 of 2002 के माध्यम से चुनौती दे दी गयी। इस पर अदालत ने नोटिस करते हुए यह कहा कि Reply to the application may be filed with in a period of four weeks.

In the facts and circumstances on record it is ordered that the proceedings for regularization of the encroachments on Government lands may go on, but Patta will not be issued under the impugned rules till further orders. इस याचिका पर कोई फैसला नही आया है। लेकिन सरकार की इस नीति पर अदालत ने कभी स्वीकृति की मोहर भी नही लगायी है। जिन लोगों के सरकार के पास आवेदन आ गये थे वह तो आज भी सरकार के संज्ञान में है। इन 1,67,339 आवेदनों की जब पड़ताल हुई थी तब उसमें 80,000 अवैध कब्जे वनभूमि पर चिन्हित हुए थे। यह सारी जानकारी सरकार के रिकार्ड में आज भी उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त 1990 के शासनकाल में शान्ता कुमार एक नीति **''वन लगाओ रोज़ी कमाओ''** लाये थे। इस नीति के तहत सरकार की वनभूमि पर पेड़ उनकी देखभाल करने वाले को उन पेड़ो के अनुपात में लाभ मिलने का प्रावधान रखा गया था। ताकि लाभ की उम्मीद में पेड़ लगाने वाला उनका उचित रख-रखाव करेगा। इस नीति के तहत भी सैंकड़ों लोगों ने पेड़ लगाये थे और एक प्रकार से उस भूमि के अपने को मालिक ही मानते थे। इस योजना के तहत वन उगाने वालों की जानकारी भी वन विभाग के पास है। इस तरह अवैध कब्जाधारकों की अधिकृत जानकारी सरकारी रिकार्ड में मौजूद है लेकिन इस सबके बावजूद उच्च न्यायालय को अवैध कब्जाधारकों की जानकारी उपलब्ध नही करवाई जा रही है। जिन अधिकारियों की ऑखों के सामने यह सब हुआ हैं उसकी जानकारी भी सरकार के रिकार्ड में मौजूद है। कौन कब कहां तैनात रहा है उसकी जानकारी भी रिकार्ड में उपलब्ध रहती है। यह सारी जानकारियां रिकार्ड में उपलब्ध होने के बावजूद अदालत को उपलब्ध नही करवाई जा रही है। इसमें सरकार और प्रषासन की नीयत पर सवाल उठने स्वभाविक है।